भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3330

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

छत्तीसगढ़ में जल संचय-जनभागीदारी 2.0 अभियान

3330. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ में जल संचय-जन भागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 अभियान की वर्तमान स्थिति और कार्यान्वयन की जिला-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्य के अतिदोहित और अर्द्ध-अतिदोहित ब्लॉकों में भू-जल पुनर्भरण के लिए प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है और क्या इन ब्लॉकों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत पैंसठ प्रतिशत अतिदोहित और चालीस प्रतिशत अर्द्ध-अतिदोहित ब्लॉकों में व्यय संबंधी अधिदेशों को पूरा किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छत्तीसगढ़ में फरवरी 2026 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत सफलतापूर्वक क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए ग्रामीण परिवारों की संख्या कितनी है और शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त राज्य में वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे विकेंद्रीकृत जल संरक्षण मॉडलों का कोई निष्पादन मूल्यांकन या प्रभाव मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जनजातीय बहुल जिलों में नल के जल की योजनाओं की दीर्घकालिक स्रोत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि ग्रीष्मकाल के दौरान प्रणालियों को गैर-क्रियाशील होने से बचाया जा सके?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ङ): जेएसजेबी पोर्टल के अनुसार छत्तीसगढ़ में जल संचय-जनभागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 अभियान का विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ के गंभीर और अर्ध-गंभीर जल की कमी वाले क्षेत्रों में वर्ष 2025-26 के दौरान (दिनांक 08.03.2026 तक) महात्मा

गांधी एनआरईजीएस के अंतर्गत किए गए जल संबंधी कार्यों और जल संबंधी कार्यों पर किए गए व्यय का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, फरवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ में लगभग 41,19,705 ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत सफलतापूर्वक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं और सभी ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन के तहत 100% एफएचटीसी कवरेज का राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2028 है।

इसकी शुरुआत से ही जल जीवन मिशन को एक विकेंद्रीकृत, मांग-आधारित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को में पीने योग्य जल की व्यवस्था की जा सके, जिसमें आदिवासी बहुल जिले भी शामिल हैं, जहां ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति/उपयोगकर्ता समूह अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/जल समिति को ग्रामीण घरों में नियमित और सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, लागू करने, प्रबंधित करने, संचालित करने और रखरखाव करने का अधिकार दिया गया है।

जेजेएम के अंतर्गत, एनजीओ, सामुदायिक आधारित संगठनों (सीबीओ)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) को भी कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ताकि वे जल आपूर्ति अवसंरचना के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्तर पर समुदायों को संगठित करने और उनसे जुड़ने, सूचना का प्रसार करने और महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान कर सकें।

प्रभाव आकलन के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सक्रिय भूजल संसाधनों का आकलन केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2022 से भूजल आकलन समिति-2015 (जीईसी-2015) की पद्धति के अनुसार किया जा रहा है। आकलन के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में वार्षिक भूजल पुनर्भरण में 0.12 बीसीएम की वृद्धि हुई है, जबकि वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन में वर्ष 2024 से वर्ष 2025 की अवधि के दौरान 0.14 बीसीएम की वृद्धि हुई है।

*****

अनुलग्नक-I

'छत्तीसगढ़ में जल संचय-जनभागीदारी 2.0 अभियान' के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 3330 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल संचय डेटा - जिला-वार गणना - जेएसजेबी पोर्टल के अनुसार छत्तीसगढ़ (जेएसजेबी 2.0)		
क्र.सं.	**जिला**	**कार्य पूर्णता**
1	बालोद	14501
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	1479
3	बलरामपुर-रामानुजगंज	708
4	बस्तर	1228
5	बेमेतरा	5699
6	बीजापुर	34
7	बिलासपुर	12225
8	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1203
9	धमतरी	306
10	दुर्ग	20645
11	गरियाबंद	2174
12	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	1050
13	जांजगीर-चांपा	2924
14	जशपुर	2292
15	कबीरधाम	3012
16	खैरागढ़-छुईखदान-गंदई	15003
17	कोंडागांव	533
18	कोरबा	812
19	कोरिया	3807
20	महासमुंद	165
21	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एम सी बी)	1472
22	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	1087
23	मुंगेली	688
24	नारायणपुर	844
25	रायगढ़	2641
26	रायपुर	3735
27	राजनांदगांव	4027
28	शक्ति	1385
29	सारंगगढ़-बिलाईगढ़	14708
30	सुकमा	80
31	सूरजपुर	8774
32	सरगुजा	3421
33	उत्तर बस्तर कांकेर	630
कुल योग:		**133292**

अनुलग्नक-II

'छत्तीसगढ़ में जल संचय-जनभागीदारी 2.0 अभियान' के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 3330 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	**जिला**	**जल की कमी वाले ब्लॉकों की संख्या**	**जल संबंधी कार्यों पर व्यय [लाखों में]**	**कुल व्यय की तुलना में जल संबंधी कार्यों पर व्यय का प्रतिशत**
1	बालोद	3	2,395.28	48.01
2	बेमेतरा	4	3,736.72	53.62
3	बिलासपुर	2	1,967.09	33.93
4	धमतरी	2	948.89	21.04
5	दुर्ग	2	2,291.82	51.43
6	गरियाबंद	1	227.87	13.67
7	कांकेर	1	1,064.95	48.86
8	कवर्धा	1	999.41	30.72
9	खैरगढ़ गंदई छुईखदान	1	1,564.44	62.25
10	महासमुंद	2	920.87	24.67
11	रायगढ़	1	310.11	18.42
12	रायपुर	1	615.81	47.05
13	राजनंदगोन	3	3,716.58	50.39
14	सारंगढ़ बिलाईगढ़	1	812.21	34.95
15	सूरजपुर	1	578.45	32.15
	कुल	**26**	**22,150.50**	**40.6**

***